

अधीक्षक का कार्यालय  
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।

कोटेशन आमत्रण सूचना ।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर में बिहार वित्त सशोधन नियमावली 2005 एवं 2016 के कंडिका 131(घ) के तहत इस संस्थान के AB-PMJAY के तहत Ortho Dept. में THR Set Implant + Disposable Item (Cement) अत्यन्त अति आवश्यकता के क्रम में नियमित आपूर्ति कर्ता / ख्याति प्राप्त फर्मों / कम्पनियों से गुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

- 1 अधोहताःशी या विभागीय संक्षम पदाधिकारी को बिना कारण बताए कोटेशन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 2 कोटेशन प्राप्ति खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वत निश्चित समझा जायेगा।
- 3 THR Set Implant + Disposable Item (Cement) का AB-PMJAY के स्वीकृत पैक के दर से कोटेशन का दर अधिक का नही होगा।
- 4 THR Set Implant + Disposable Item (Cement) दर GST के बिना अकित किया जाये एवं रोट में प्रति सामाग्री का नाम एवं दर अकित किया जाए।
- 5 THR Set Implant + Disposable Item (Cement) आदि के कम्पनी द्वारा Authorization Letter तकनीकी कोटेशन के साथ सलग करना अनिवार्य होगा।
- 6 कोटेशन दो प्रकार यथा (1) टेक्निकल (2) वित्तीय अलग-अलग मुहरबद लिफाफे में बद कर लिफाफे के उपर THR Set Implant + Disposable Item (Cement) रख्य अक्षरों में उल्लेख होना अनिवार्य है।
- 7 कोटेशन तकनीकी के शास्त्रों को पूरा करने वाले कोटेशनदाताओं का ही वित्तीय कोटेशन खोला जायेगा।
- 8 कोटेशन के साथ अद्वतन आयकर एवं जी०एस०टी० एवं दवा अनप्रमाणपत्र देना होगा।
- 9 विस्तृत जानकारी [www.jlnmchbgp.org](http://www.jlnmchbgp.org) पर देखें अथवा कार्यावधि में अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- 10 कोटेशन दाता को आदेशित समाग्री विभाग में आदेश निर्गत के तिथि से 3 दिनों के अन्दर अवश्य आपूर्ति करना होगा अन्यथा क्यादेश रद्द समझा जायेगा।
- 11 कोटेशन दाता को आदेशित समाग्री विभाग में आदेश निर्गत के तिथि से 3 दिनों के अन्दर अवश्य आपूर्ति करना होगा अन्यथा क्यादेश रद्द समझा जायेगा।
- 12 कोटेशन का मसौदा केवल टंकित प्रति ही मान्य होगी हाथ से लिखा कोटेशन का मसौदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
- 13 प्राप्त कोटेशन खोलने के समय कोटेशनदाता / प्रतिनिधि की उपरिथित आवश्यक होगी।
- 14 कोटेशन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भागलपुर होगा।

अधीक्षक

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय  
अस्पताल, भागलपुर।